संख्याः-22/2021/130610/38-9002(003)/1/2021

प्रेषक,

अवधेश कुमार तिवारी,
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ0प्र0 ग्रामीण सडक विकास अभिकरण
लखनऊ।

ग्राम्यं विकास अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक 05 जुलाई, 2021**

विषय-वित्तीवय वर्ष 2021-22 के लिए आय-व्य यक में सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित बजट के सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि रू0 56.75 लाख की धनराशि अवमुक्ता किये जाने के सम्ब्न्धत में।

महोदय,

उपर्युक्तन विषयक आपके पत्र संख्या-3695/एफ-31(9)/यूपीआरआरडीए/2021, दिनांक-17.06.2021 के सन्द र्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में उ0प्र0 ग्रामीण सडक विकास अभिकरण के संचालन हेतु सहायता अनुदान में गैर वेतन मद के लिए प्राविधानित धनराशि रू0 227.00 लाख (रूपये दो करोड सत्ता9ईस लाख मात्र) के सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि रू0 56.75 लाख (रूपये छप्पन लाख पचहत्तर हजार मात्र) को आपके निर्वतन पर रखने हेतु निम्नक शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्य्पाल सहर्ष स्वीपकृति प्रदान करते है:-

(1) आकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व मुख्यर कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सडक विकास अभिकरण, लखनऊ का होगा।

(2) पूर्व स्वीकृत किश्त के व्यय/समायोजन/आकड़ों की शुद्धता का दायित्व मुख्यल कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सडक विकास अभिकरण, लखनऊ का होगा।

(3) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सडक विकास अभिकरण, लखनऊ द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय एकमुश्त न करते हुए अपितु प्रकरण में आवश्यकता व औचित्य के संबंध में संतुष्ट होते हुए आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत व्यय व स्वीकृत धनराशियों के निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व मुख्यध कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सडक विकास अभिकरण, लखनऊ का होगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज के नियमानुसार समायोजन/निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराने का दायित्व मुख्यक कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सडक विकास अभिकरण, लखनऊ का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत निर्धारित दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत निर्धारित मदों में किया जायेगा।

(7) धनराशि के आहरण के सम्बन्ध में मितव्ययता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021बी-1-375/दस-2021-231/2021,दिनांक-22.03.2021 व अन्य संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था का संज्ञान लेते हुए उसके अनुसार कार्यवाही/अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस सम्ब1न्धत्र में होने वाला व्यरय वित्तीनय वर्ष 2021-2022 के आय-व्य0यक के अनुदान संख्याच-13 के लेखाशीर्षक-2515-अन्या ग्राम्यय विकास कार्यक्रम-800-अन्यय व्य.य-04-प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना- 0401-उ0प्र0 ग्रामीण सडक विकास अभिकरण की स्थायपना-20-सहायता अनुदान-सामान्यय (गैर वेतन) के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन के कम्प्यूटर संख्या 1385372 दिनांक 24.06.2021 में प्राप्तन उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
अवधेश कुमार तिवारी
विशेष सचिव।

संख्या। एवं दिनांक उपरोक्तारनुसार।

<u>प्रतिलिपि निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यतक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-</u>

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- निदेशक, स्था नीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- आयुक्तद, ग्राम्यं विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
4- वित्तत नियंत्रक, उ0प्र0 ग्रामीण सडक विकास अभिकरण, लखनऊ।
5- मुख्यत कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्तत (व्याय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्तख (आय-व्य5यक) अनुभाग-1
7- श्री विजय बहादुर वर्मा (नोडल अधिकारी), संयुक्त सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को वित्तीय स्वीकृतियों को उ0प्र0 बजट एलाटमेट सिस्टम के माध्यम से आनलाइन निर्गत किये जाने तथा आनलाइन बजट एलाटमेट सिस्टम में प्रविष्ट करने हेतु।
8- गार्डबुक।

आज्ञा से,
अवधेश कुमार तिवारी
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in